2025/416

**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 03/2025 (विविध)**

कान्तिलाल पिता भेमा जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................ अपीलान्ट

**बनाम**

तहसीलदार (भुमिधारी) तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................ रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखण्ड
अधिकारी गढ़ी दि. 29.07.2025 प्र.सं. 115/2021

---/---

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश दिवेद्वी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजकीय अभिभाषक भुपेन्द्र जैन

---::---

**निर्णय दिनांक 28–01–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि आवटन तथा विक्रय) नियम 1984 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केसरपुरा के खाता संख्या 384 के सर्वे नम्बर 940 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि माही कमाण्ड क्षेत्र भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1984 के अधीन दिनाक 27.01.2006 को तत्समय भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवटी श्री कांतिलाल पुत्र भेमा भील व रूप पत्नी कांतिलाल भील निवासी केसरपुरा को गैर खातेदारी हक पर भूमि आवंटन किया गया था जिसकी पुष्टि में आवंटन आदेश [illegible] आज दिनांक तक मौके पर आवंटी [illegible] काश्त [illegible] मौके पर भूमि पर राजकीय उपस्वास्थ्य केन्द्र/पटवार [illegible] पक्का व आवासीय मकान व माही केनाल निर्मित होकर वर्तमान में भूमि काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:49 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

योग्य नही है। आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि में कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि में खसरा गिरदावरी की नकलो से होती है। ग्राम केसरपुरा के सर्वे नम्बर 940 रकबा 0.21 हैक्टेयर में से रकबा 0.02 हैक्टेयर पर उपस्वास्थ्य केन्द्र और रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर पटवार घर व रकबा 0.03 हैक्टेयर पर माही नहर मौके पर बनी हुए है। शेष रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि पर अन्य व्यक्तियों के आवासीय मकान बने होकर मौके पर निवासरत है। आवंटी कांतिलाल पुत्र भेमा भील व रूप पत्नी कांतिलाल भील निवासी केसरपुरा का उक्त खसरा नम्बर 940 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि पर आवंटन वक्त से आज दिनांक तक कब्जा जाहिर होना नहीं पाया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु मौका पर्चा व खसरा चौसाला संवत 2066–77 तक की नकल संलग्न प्रस्तुत की गई। वर्तमान में उक्त आवंटन राजहित व आमजनों के लिये निरस्त किये जाने योग्य है। अतः माही कमाण्ड क्षेत्र भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1988 के नियम 17 के तहत विपक्षीगण को किया गया आवंटन किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.07.2025 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 23.09.2025 को अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार श्री भुपेन्द्र जैन उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश त्रिवेद्वी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि आराजी [illegible] रकबा 0.2100 हैक्टेयर पर अपीलान्ट का कब्जा बाप–दादाओं के [illegible] से चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट [illegible] ना चाहता है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौके जॉच की गई [illegible] व अपीलान्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:49 IST
Reason: SelfAttested

अनुपस्थिति में बिना उसे सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कार्यवाही की गई। मौके पर अपीलान्ट आज भी काबिज है तथा परिवार सहित निवास करता है। आवंटन सलाहकार द्वारा विधिवत् मौके की जॉच कर आंवटन किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आंवटन एवं विक्रय नियम 1984 के नियमों की विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया है। मौके पर अपीलान्ट का कब्जा होने से आंवटी के खिलाफ धारा 17 माही कमाण्ड क्षेत्र भूमि आंवटन अधिनियम 1984 के नियम 17 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं होकर राजकीय उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं आवासीय मकान बने हुए है। मौके पर किसी प्रकार की काश्त नहीं हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

6. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। दिनांक 27.01.2006 को अपीलान्ट कांतीलाल को राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1984 के विवादित आराजी नम्बर 940 रकबा 0.21 हैक्टेयर का आवंटन किया गया, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 24.05.2021 अनुसार आवंटित आराजी नम्बर 940 रकबा 0.21 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर पर उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन, 0.02 हैक्टेयर पर पटवार भवन, 0.03 हैक्टेयर भूमि पर माही नहर तथा शेष 0.14 हैक्टेयर भूमि पर अन्य व्यक्तियों [illegible] मकान बने हुए है। उक्त मौका रिपोर्ट [illegible] हस्ताक्षर है। राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1984 के अनुसार आवंटी [illegible] 2 वर्ष के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:49 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

भीतर आवंटित भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट/विपक्षी को किये गये आवंटन को निरस्त करने का आदेश देते हुए भूमि पुनः सिवायचक दर्ज कर कब्जा राज लेने का आदेश दिया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते है।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–07–2025 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28–01–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

29.1.26.

**(कीर्ति राठौड़)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:49 IST
Reason: SelfAttested